

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 16.07.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-167/2011 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त 1. शिवमोहन पुत्र साम्बेल आदम निवासी लोको कालोनी 424 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को मा० न्यायालय श्री रामबाबू यादव (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 5000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री जे०पी० सिंह (एडीजीसी) एवं थाना अलीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी सराहनीय रही।